



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62394

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -
2889/2026

बबलू यादव उर्फ धर्मेन्द्रआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: दीपांकर शुक्ला, मुकेश कुमार पांडेय

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से सत्र विचारण संख्या 02/2024, जो मुकदमा अपराध संख्या 133/2023 से उद्भूत है, धारा 147, 148, 307/149, 323/149, 504, 452, 325/149, 302/149 आई.पी.सी., थाना- शिवली, जिला कानपुर देहात के अंतर्गत, विचारण के समापन तक उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत चाहते हैं:-
 - i. आवेदक, यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित था, परंतु विवेचना के दौरान उसे दोषमुक्त कर दिया गया था।
 - ii. आवेदक को पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के बयान दर्ज होने के बाद धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत तलब किया गया है।
 - iii. धारा 319 के तहत जारी आदेश को चुनौती देने वाली एक दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 7601/2025 (चंद्रिका प्रसाद एवं 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें विपक्षी को नोटिस जारी किए गए हैं।
 - iv. आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है।
 - vii. मृतक के सिर पर चोट पहुँचाने की विशिष्ट भूमिका महेंद्र सिंह उर्फ मुनीम को सौंपी गई है, जिसे इस न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 41231/2025 में नियमित जमानत दी जा चुकी है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित अभियोजन साक्षियों के बयानों में आवेदक को अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है; हालांकि, वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया है।
6. आवेदक को धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत विचारण का सामना करने के लिए तलब किया गया है। मृतक के सिर पर चोट पहुँचाने की विशिष्ट भूमिका सह-अभियुक्त महेंद्र सिंह उर्फ मुनीम को सौंपी गई है, जिसे इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 09.01.2026 के माध्यम से नियमित जमानत दी जा चुकी है। इसके अलावा, आवेदक को केवल मारपीट की सामान्य भूमिका सौंपी गई है।
7. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित समझता हूँ।
8. आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
9. आवेदक- बबलू यादव उर्फ धर्मेन्द्र की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मुकदमा अपराध में एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियाँ संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिया किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-
 - i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
 - ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;
10. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियाँ विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निपटारे के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

(माननीय राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

25 मार्च, 2026

कुशल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"